

# विज्ञापित

शिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत इस कार्यालय में आद्यौगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। चयनित शिक्षुओं को प्रशिक्षण एवं भत्ता शिक्षुक अधिनियम 1961 के अंतर्गत देय होगा। ट्रेड वाइज़ विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	ट्रेड का नाम	शिक्षुओं की संख्या
1	स्टैनो हिंदी	03
2	कारपेंटर	04
3	वेल्डर (गैस और इलैक्ट्रिक)	04
4	पेंटर (जनरल)	01
5	फिटर	04
6	टरनर	01
7	इलैक्ट्रिशियन	05
8	मोटर मैकेनिक व्हीकल	07
9	डीजल मैकेनिक	07

**नोट:-** शिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार किसी भी संस्थान से पूर्व में अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके उम्मीदवार दूसरी बार प्रशिक्षण लेने के पात्र नहीं है।

## आवेदन प्रक्रिया :-

1. इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन पोर्टल [www.apprenticeshipindia.gov.in](http://www.apprenticeshipindia.gov.in) पर अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11-03-2024 से 14-03-2024 तक करें ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार अपना फोटो, दसवीं की अंकतालिका आई.टी.आई. पास की अंकतालिका, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करें व उम्मीदवार का प्रोफाइल आधार वैरिफाईड होना बहुत ही आवश्यक है।
2. उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपना अप्रेंटिसिप प्रोफाइल व उपरोक्त सभी संबंधित दस्तावेज दिनांक 18-03-2024 से 20-03-2024 तक कार्यालय महाप्रबंधक, हरियाणा राज्य परिवहन, नया बस स्टैण्ड जींद में जमा करवाना होगा।
3. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त/अपूर्ण आवेदन बिना किसी सूचना के रद्द किए जाएंगे।